

FORM NO.111

फर्द अहकाम
(नियम 26)


न्यायालय सहायक कलक्टर (फारस्ट्रेक) श्रीगाधोपुर (सीकर)

धर्मपाल वगैरे बनाम नामालूम

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र कैवियट

मुकदमा नम्बर-

145 / 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
28.11.2025	<p>प्रार्थी वकील श्री आदित्य प्रताप सिंह नरुका एडवो के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 08.01.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी में दर्ज खरारा नम्बरान से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फौसल किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फारस्ट्रेक) श्रीगाधोपुर (सीकर)</p>	

